कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला–गोरखपुर, उ0प्र0)

संख्याक / मान्यता / 21381 / 2020–21 दिनांकः– 31-3-2021

प्रबन्धक,

आधारशिला इण्टरनेशनल स्कूल,

नरायनपुर दोयम, झुंगिया बाजार, गोरखपुर।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए स्थायी मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

शासनादेश सं0–89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 दिनांक 11 जनवरी, 2019 में उल्लिखित निर्देशानुसार आपके आवेदन पत्र दिनांक 30–09–2019 के क्रम में स्थलीय / भौतिक जांचोपरान्त कक्षा–01 से कक्षा–05 तक अंग्रेजी माध्यम की अस्थायी मान्यता इस कार्यालय के पत्रांक मान्यता / 21706 / 2019–20 दिनांक 29.02.2020 के द्वारा प्रदान की गयी थी। शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं संशोधित शासनादेश 196 / अरसठ–3–2020–2041 / 2018 दिनांक 29 जून, 2020 के क्रम में प्राप्त स्थायी मान्यता हेतु आवेदन पत्र पर पुनः भौतिक / स्थलीय निरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त आधारशिला इण्टरनेशनल स्कूल, नरायनपुर दोयम, झुंगिया बाजार, गोरखपुर को प्राइमरी स्तर (कक्षा–1 से कक्षा–5 तक) अंग्रेजी माध्यम की स्थायी मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है जो निम्नवत हैः–

01- मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।

02- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (संलग्नक–1) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक–2) के उपबंधो का पालन करेगा।

03- विद्यालय कक्षा 1 में, कक्षा की संख्या के **25%** तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालको को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।

04- प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।

05- समिति / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

06- विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा –

(क) बालक का आयु–प्रमाण न होने पर,

(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

07- विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i) किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,

(ii) किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।

(iii) किसी भी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।

(iv) प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा,

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन;

(vi) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तत्यों का निर्वहन करता है; और

(vii) अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया–कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।

08- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

09- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– **13080** वर्गफीट
- कुल निर्मित क्षेत्र – **2000** वर्गफीट
- **क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – 11080 वर्गफीट उपलब्ध है।**
- **कक्षाओं की संख्या – 05 उपलब्ध है।**

Principal
Aadharshila International School
Narayanpur Doyam, Jhungiya Bazar
Gorakhpur (U.P.)

Manager
Aadharshila International School
Narayanpur Doyam, Jhungiya Bazar
Gorakhpur (U.P.)

- प्राध्यापक–सह– कार्यालय–सह– भंडागार के लिए कक्ष– **उपलब्ध है।**
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – **01+01 =02 उपलब्ध है।**
- पेयजल सुविधा – **इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प उपलब्ध है**
- मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई– **उपलब्ध**
- वाधारहित पहुँच – **उपलब्ध है।**
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – **उपलब्ध है।**

10- विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।

11- विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरणा अधिनियम–1860 (अधिनियम संख्या–21 सन 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्याय द्वारा संचालित किया जाता है।

12- विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13- लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड़ संख्या **A/20/2019** है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धत करने का कष्ट करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो म... सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16- समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, तो सुनिश्चित किया जाये।

17- विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा अन्य समस्त सदस्यों द्वारा अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा वोटर आई0डी0 विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

18- **विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार यू–डायस+ से संबंधित सूचनायें/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।**

19- विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

20- शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापाकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 में विहित प्रकिया अपनायी जायेगी।

21- जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

22- मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण–पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त कक्षाऐं संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण–पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(बी0एन0सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला–गोरखपुर, उ0प्र0)

संख्याक/मान्यता/ 3007–08 /2021–22 दिनांकः– 02-07-2021

प्रबन्धक,
आधारशिला इण्टरनेशनल स्कूल,
नरायनपुर दोयम, झुंगिया बाजार, गोरखपुर।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए स्थायी मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

शासनादेश सं0–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी, 2019 में उल्लिखित निर्देशानुसार आपके आवेदन पत्र दिनांक 30–09–2019 के क्रम में स्थलीय/भौतिक जांचोपरान्त कक्षा–06 से कक्षा–08 तक अंग्रेजी माध्यम की अस्थायी मान्यता इस कार्यालय के पत्रांक मान्यता/21672–73/2019–20 दिनांक 29.02.2020 के द्वारा प्रदान की गयी थी। शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं संशोधित शासनादेश 196/अरसठ–3–2020–2041/2018 दिनांक 29 जून, 2020 के क्रम में प्राप्त स्थायी मान्यता हेतु आवेदन पत्र पर पुनः भौतिक/स्थलीय निरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त **आधारशिला इण्टरनेशनल स्कूल, नरायनपुर दोयम, झुंगिया बाजार, गोरखपुर को जूनियर हाईस्कूल (कक्षा–6 से कक्षा–8 तक) अंग्रेजी माध्यम की स्थायी मान्यता** इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है जो निम्नवत है:–

01- मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।

02- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (संलग्नक–1) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक–2) के उपबंधो का पालन करेगा।

03- विद्यालय कक्षा 1 में, कक्षा की संख्या के **25%** तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालको को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।

04- प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।

05- समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

06- विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा –
(क) बालक का आयु–प्रमाण न होने पर,
(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

07- विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
(i) किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
(ii) किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।
(iii) किसी भी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।
(iv) प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा,
(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन;
(vi) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है; और
(vii) अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया–कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।

08- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

09- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– **4200** वर्गफीट
- कुल निर्मित क्षेत्र – **2100** वर्गफीट
- क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – **2100 वर्गफीट उपलब्ध है।**
- कक्षाओं की संख्या – **03 उपलब्ध है।**

Principal
Aadharshila International School
Narayanpur Doyam, Jhungiya Bazar
Gorakhpur (U.P.)

Manager
Aadharshila International School
Narayanpur Doyam, Jhungiya Bazar
Gorakhpur (U.P.)

- ...क–सह– कार्यालय–सह– भंडागार के लिए कक्ष– **उपलब्ध है।**
- ...लक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – **01+01=02 उपलब्ध है।**
- पेयजल सुविधा – **इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प उपलब्ध है**
- मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई– **उपलब्ध**
- वाधारहित पहुँच – **उपलब्ध है।**
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – **उपलब्ध है।**

10- विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।

11- विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरणा अधिनियम–1860 (अधिनियम संख्या–21 सन 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्याय द्वारा संचालित किया जाता है।

12- विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13- लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या **B/06/2019** है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धत करने का कष्ट करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिक... द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16- समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, तो सुनिश्चित किया जाये।

17- विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18- शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापाकों की भर्ती और सेवा की शर्ते) नियमावली 1978 में विहित प्रकिया अपनायी जायेगी।

19- जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

20- मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण–पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण–पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(बी0एन0सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

पृ0सं0/मान्यता/ /2021–22 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Principal
Aadharshila International School
Narayanpur Doyam, Jhungiya Bazar
Gorakhpur (U.P.)